फर्द अहकाम

ार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

भवानी सिंह विपक्षी कानसिंह

मुकदमा 88,188 [illegible] पत्रावली संख्या 60/22 सन्

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
04/9/25 कुलाय वादी/प्रतिवादी उप. बहस हेतु प्रा. पत्र 07R11 CPC लिये मौका चाहते है। अतः एक अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 09/9/25 पेश हो। (SDO) मावली	
09/9/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय सॉय 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं वादी एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण वर्तमान में प्रा. पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के बहस में लम्बित हैं। वादी को पूर्व में भी बहस हेतु कोस्ट पर अवसर दिया गया था परन्तु वादी द्वारा जानबुझकर प्रकरण को लम्बा किया जा रहा है। आज भी स्वयं वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। अतः अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल [illegible] होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मावली जिला-उदयपुर (राज.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:31:17 IST
Reason: SelfAttested